

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 132

प्रकरण क्रमांक- M-COM-2023-01997

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "सिंगापुर लाईफ सिटी फेस-4" प्रमोटर-सी.जी.हाउसिंग कंपनी, द्वारा-
श्री सूरज चौहान, पता-प्रथम, द्वितीय तल, चौहान एस्टेट, जी.ई, रोड, सुपेला, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
प्रोजेक्ट- "सिंगापुर लाईफ सिटी फेस-4, कुटेलाभाठा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/12/2023	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि श्री सुभाष कुमार उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के लिये रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोले जाने के संबंध में बैंक खाता का स्टेटमेंट की छायाप्रति एवं पूर्व के खाते को बंद करने हेतु दिये गये आवेदन की छायाप्रति पेश किया गया।</p> <p>अनावेदक को रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु चेतावनी देते हुये प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	